5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

107

न्यायालय- श्रीमान राजस्व मंडल ग्वा. लिंक, सागर म0प्र0

निगरानी 2414-I-15

1. श्रीमति हरवंश कौर पत्नि स्व0 श्री मनोहर सिंह
2. तेजिन्दर पाल सिंह पुत्र स्व0 श्री मनोहर सिंह
3. जितेन्दर पाल सिंह पुत्र स्व0 श्री मनोहर सिंह

सभी निवासी- पेप्टिक सिटी, देरी रोड, छतरपुर,

तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0 ...... पुनरीक्षणकर्ता

// विरूद्ध //

म0 प्र0 शासन ..... अनावेदक.

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा- 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त प्रकरण माननीय अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्र0- 1/सी-129/2013-14 आदेश दिनांक- 13.04.2015 से दुखित होकर प्रस्तुत है ।

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

1. यह कि, आवेदिका/आवेदकगण के पति/पिता श्री मनोहर सिंह सभी छतरपुर निवासी रहे हैं एवं मनोहर सिंह का निधन हो चुका है , तथा आवेदकगण श्री मनोहर सिंह के वैध वारसान हैं ।

2. यह कि, आवेदकगण के पति/पिता के द्वारा भूमि खसरा नंबर - 437, 440, 441, 442 कुल किता-4 रकवा 3.169 हेक्टेयर स्थित ग्राम गौरगांय , तहसील व जिला छतरपुर में से हिस्सा 1/2 रकवा 1.585 हेक्टेयर भूमि जो दिनांक- 01.02.1990 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रेता श्री रामस्वरूप अरजरिया से क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया था ।

3. यह कि, तत्पश्चात बाबूलाल शर्मा पुत्र महादेव शर्मा, निवासी- गौरगांय के द्वारा एक व्यवहार वाद क्र0- 24 ए/2014 माननीय द्वितीय

...2.

बाबूलाल शर्मा ने

...3.

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक..... R-2414/I/15..... जिला ..... छतरपुर .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-1-17	1– आवेदक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 1/सी–129/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 13–04–2015 के विरूद्व म०प्र० भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक की ओर से अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 442 रकवा क्रमशः 0.178 हे0 स्थित मौजा गोरगायं तहसील छतरपुर स्थित भूमि आवेदकगणों पति एवं पिता की भूमि स्वामित्व की भूमि है जिनकी मृत्यु दि.03.07.2013 में हो चुकी है बाबूलाल एवं वीरेन्द्र द्वारा व्यवहार न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए व्यवहारवाद दिनांक 24.03.2007 को एकपक्षीय निर्णय एवं डिग्री पारित किए जाने पर उसकी अपील आवेदकगणों द्वारा प्रथम अपर जिला न्यायधीश छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसका निराकरण 11.03.2008 को आवेदकगण के पक्ष में किया जा चुका है किंतु राजस्व रिकार्ड आवेदकगणों का नाम न दर्ज किए जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था जिसकी अपील आयुक्त सागर द्वारा भी निराकृत कर पूर्व की स्थिति रखे जाने के निर्देश दिए जाने के पर तथा माननीय उच्च न्यायालय से कोई स्थगन न होने के उपरांत भी आवेदकगणों का नाम दर्ज न किए जाने से उन्होंने पारित आदेश निरस्त कर आवेदगणों का पूर्वतः रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर उनका नामांतरण यथावत रखे जाने का अनुरोध किया है। 3– मैने आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के प्ररिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय एवं प्रस्तुत का अवलोकन किया इस प्रकरण में व्यवहारवाद क्र. 24/ए/04 निर्णय एवं डिग्री	

[कृ. प. उ.

निगरा. 2414-E/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं आदि के हस्ताक्षर
	दिनांक 24.03.2007 को निराकृत प्रकरण व्यवहार न्यायालय माननीय प्रथम अपर जिला न्यायधीश छतरपुर के प्रकरण क्र. 74/ए/04 प्रस्तुत किए जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.03.2008 को आदेश पारित कर उपरोक्त आदेश दिनांक 24.03.2007 को निरस्त किया गया है जिसमें पूर्व में पारित नामांतरण आदेश को शून्य मान्य किया गया है उपरोक्त आदेश आवेदकगणों के स्वर्गवासी वारिस मनोहर सिंह के पक्ष में निराकृत किया जाना अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में उल्लेखित है। जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है किन्तु कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में आवेदकगणों के पति एवं पिता के भूमि स्वामित्व की भूमि पर नामांतरण किए जाने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। ऐंसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैद्य नहीं पाता हूँ। 4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.2015 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार छतरपुर को निर्देशित किया जाता है कि मौजा गोरगायं तह. छतरपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 442 रकवा 0.178 हे0 में आवदेकगणों के नाम राजस्व अभिलेख/कम्प्यूटर अभिलेख में दर्ज करें। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जाए। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	